

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०-८ बरेली।

सरकार

बनाम

देवेन्द्र

मु०अ०सं०-७६/२०१९

धारा-147,148,149,307 भा०दं०सं०

थाना-कैण्ट

जिला-बरेली।

दिनांक:-03.09.2019

पैरोकार वेदराम की ओर से जमानत धनराशि निर्धारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र के समर्थन में वेदराम का शपथपत्र दाखिल किया गया है। कम्प्यूटर अनुभाग से माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर इसकी जाँच करायी गयी तो कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सही पाया गया।

सुना एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के क्रि०मि० प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-27157/2019 में पारित आदेश दिनांकित 26.08.2019 का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रि०मि० प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-27157/2019 में पारित आदेश दिनांकित: 26.08.2019 द्वारा अ०सं०-७६/२०१९ अन्तर्गत धारा-147,148,149,307 भा०दं०सं० थाना कैण्ट, जिला बरेली के मामले में अभियुक्त **देवेन्द्र** की जमानत स्वीकार की जा चुकी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त **देवेन्द्र** को उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन अभियुक्त द्वारा **मु०-80,000/- (अस्सी हजार) रुपये** का एक निजीबंधपत्र एवं समान धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक:-03.09.2019

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-८, बरेली।